राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांकः F.15 (ग)/PD/DLB/IGSCCY-2021-22/ 37900 दिनांकः 22.09.21

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
दुर्गापुरा, जयपुर।

विषयः IGSCC योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में SLBC के सदस्य बैंको के द्वारा बताए गए मुद्दे का स्पष्टीकरण जारी करने बाबत्।
संदर्भः शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में SLBC के सदस्य बैंको के साथ आयोजित बैठक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में SLBC के सदस्य बैंको के साथ आयोजित बैठक में बैंको द्वारा बताए गए मुद्दों का निराकरण निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	मुद्दे	निराकरण
1.	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises के तहत योजना का पंजीयन कराने के सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना।	Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises द्वारा टर्म लोन के रूप में देने पर कवर करने की सहमति प्रदान की गई।
2.	पोर्टल में सब्सिडी क्लेम करने हेतु बैंको को सूचित करने हेतु पोर्टल में Option होना चाहिए।	पोर्टल में यह विकल्प जोड़ा जा रहा है।
3.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक द्वारा योजना की मानीटरिंग हेतु पोर्टल में यूजर की मानीटरिंग हेतु पोर्टल में यूजर लॉगइन दिया जावे।	पोर्टल में यूजर लॉगइन का प्रावधान जोड़ा जा रहा है।
4.	आवेदक के CIBIL स्कोर कम होने की स्थिति में ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।	CIBIL स्कोर कम होने की स्थिति में भी ऋण देय होगा। केवल डिफाल्टर होने पर ही आवेदन निरस्त किया जावेगा।
5.	निजी क्षेत्र के बैंको तथा वित्तीय संस्थानों की ब्याज दर अधिक है। इन बैंको को ब्याज के पुनर्भरण करने के	वित्त विभाग द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 10 पर ब्याज दर 10 प्रतिशत निर्धारित

Scanned with CamScanner

	सम्बन्ध में स्पष्टता की जानी चाहिए।	की गई है।
6.	ऋण राशि एक बार अथवा 2 से अधिक किस्तों में जारी की जाएगी?	ऋण राशि का वितरण प्रस्ताव के आधार पर बैंको द्वारा एक बार अथवा अधिकतम दो किस्तों में किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार
दिनांकः 22.09.21

क्रमांकः F.15 (ग)/PD/DLB/IGSCCY-2021-22/ 37901-04
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (वित्त व्यय), वित्त विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय जयपुर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner